देहदान की प्रक्रिया

1. देहदान का संकल्प करने के इच्छुक व्यक्तियों को एक देहदान का फार्म (Body Donation Form) दो प्रतियों में भरना होता है जो विभाग में निःशुल्क उपलब्ध है एवं प्रातः 09:00 बजे से 04:00 बजे के मध्य स्वयं अथवा किसी नामित व्यक्ति द्वारा एनाटमी विभाग GIMS, Greater Noida (UP) से लिया जा सकता है।
2. विभाग न आ पाने की दशा में दूरभाष 9827395622, 7678642842, या पत्र द्वारा अथवा ई–मेल द्वारा अपना पूरा पता एवं अनुरोध लिखकर देह दान का फार्म (Body Donation Form) मंगवाया जा सकता है। ई–मेल की दशा में फार्म ई.मेल पर भेज दिया जायेगा।
3. फार्म की दोनो प्रतियां पूर्णतः भरकर अपना पासपोर्ट साइज का फोटो लगाकर फार्म को डाक द्वारा / पत्र वाहक द्वारा विभाग के पते पर भेजा जाना चाहिये।
4. फार्म के आधार पर आपका पंजीकरण करके फोटो को सत्यापित कर एक फार्म आपको डाक द्वारा / पत्र वाहक द्वारा वापिस भेज दिया जायेगा। फार्म की एक प्रति विभाग में सुरक्षित रख ली जायेगी।
5. आप अपना फार्म किसी ऐसे व्यक्ति के पास सुरक्षित रखवा दें जो आपकी इच्छा एवं संकल्प का सम्मान करते हुए मराणोपरान्त सूचना अविलम्ब दूरभाष द्वारा विभागध्यक्ष एनाटमी विभाग को दे। ताकि मृत देह को परिरक्षित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके।
6. आपकी दुःखद मृत्यु का एक प्रमाण पत्र चिकित्सा / अस्पताल द्वारा विभाग को आपके परिजनों द्वारा उपलब्ध कराना होगा।
7. संस्थान द्वारा आपके अमूल्य देह की प्राप्ति का एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा जिसके आधार पर सम्बन्धित नगर पालिका / निगम द्वारा आपके परिजन मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे।

विभागाध्यक्ष

शरीर रचना विभाग,

राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान,

ग्रेटर नोएड़ा।

बॉडी डोनेशन के लिए प्रश्नावली

प्रश्न 1. देह–दान कौन कर सकता है ?

उत्तरः कोई भी कानूनी भारतीय नागरिक देहदान कर सकता है।

प्रश्न 2. देह–दान कब किया जा सकता है ?

उत्तरः (1) व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी भी समय देह–दान के लिए प्रतिज्ञा कर सकता है।

(2) मृत्यु के बाद मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा भी देह–दान किया जा सकता है।

प्रश्न 3. मृत्यु से पहले देहदान के लिए कैसे संकल्प लिया जा सकता है ?

उत्तरः भारत के सभी मेडिकल कॉलेजों के शरीर रचना विभाग में देह–दान योजना मौजूद होती है। जहॉ पर कोई भी भारतीय नागरिक संपर्क कर सकता है।

प्रश्न 4. देह–दान के लिए क्या करना होगा ?

उत्तरः देह–दान के लिए शरीर रचना विभाग में उपलब्ध ''विल फार्म भरना'' होगा, तत्पश्चात एक डोनर कार्ड जारी किया जायेगा जिसमें देह–दान से संबंधित सभी विवरण उपलब्ध होगें।

प्रश्न 5. मृत्यु के बाद देहदान कैसे किया जा सकता है ?

उत्तरः मृत्यु की सूचना शरीर रचना विभाग को दे। विभाग द्वारा पूछे गए प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर देने पर निम्नलिखित दस्तावेज विभाग के सामने प्रस्तुत करें:–

1. पंजीकृत मेडिकल चिकित्सक द्वारा जारी मृत्यु–प्रमाण पत्र,

2. स्थानीय पुलिस चौकी को मृत्यु की सूचना एवं पुलिस द्वारा जारी दस्तावेज,

3. मृतक एवं निकटतम रिश्तेदारों का पहचान पत्र (जैसे वोटर आई.डी, आधार कार्ड एवं राशन कार्ड)

प्रश्न 6. देह–दान की प्रकिया पूर्ण होने पर मृतक के शरीर को मेडिकल कॉलेज में कैसे लाया जाएगा ?

उत्तरः मृतक के शरीर को मृत्यु के स्थान से लाने का दायित्व मेडिकल कॉलेज का है। वाहन उपलब्ध नहीं होने की दशा में मृतक के परिजनों से लाने का अनुरोध किया जा सकता है।

प्रश्न 7. किन परिस्थितियों में देहदान अस्वीकृत किया जाता है ?

उत्तरः यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु जलने, दुर्घटना और कुछ संक्रामक रोगों जैसे तपेदिक, हेपेटाइटिस बी, एड्स, टेटनस, गैस गैंग्रीन आदि से होती है तब शरीर चिकित्सा शिक्षण के लिए उपर्युक्त नही होता है। इस दशा में देहदान स्वीकार नहीं किया जाता है।

प्रश्न 8. मृत्यु के बाद दान के लिए कितना समय दिया जाता है ?

उत्तरः शरीर में मृत्यु के तुरंत बाद अपघटन शुरू हो जाता है। शव को जल्द से जल्द विभाग को भेजा जाना चाहिए। आदर्श रूप से, शरीर की प्रक्रिया के रूप में, मरने के 8–10 घंटे के भीतर मृत शरीर को रचना विभाग तक पहुँचाना पड़ता है

प्रश्न 9. क्या मृत्यु के बाद शरीर के अंगों का उपयोग किया जा सकता है ?

उत्तरः हां, मृत्यु के बाद आंखे 8 घंटे तक दान की जा सकती हैं।

प्रश्न 10. शिक्षण उददेश्यों के लिए शरीर को कैसे संरक्षित किया जाता है ?

उत्तरः शरीर का औपचारिक रूप से उपचार किया जाता है। एक रसायन के द्वारा शरीर के ऊत्तक को ठीक रखा जाता है। इस प्रक्रिया को इम्बालिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया से शरीर को सालों के लिये संरक्षित किया जाता है।

प्रश्न 11. विच्छेदन के लिए शरीर को कब तक संरक्षित किया जाता है ?

उत्तरः विभाग में कैडेवर की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इसे एक महीने से दो–तीन साल के अन्दर प्रयोग में लाया जाता है।

प्रश्न 12. अध्ययन के बाद आप शरीर के अवशेषों का क्या करते हैं ?

उत्तरः वर्तमान में, शरीर के अवशेषों को बायोमेडिकल बेस्ट मैनेजमेंट विभाग द्वारा जलाया जाता है।

प्रश्न 13. क्या रिश्तेदारों को अवशेष दी जा सकती है ?

उत्तरः नहीं।

प्रश्न 14. क्या कोई रिश्तेदार देहदान के बाद शरीर को देख सकता है ?

उत्तरः हां, शरीर को देखने के लिए 48 घंटे तक के लिए अनुमति दी जाती है।

प्रश्न 15. यदि मृतक के बच्चे (कानूनी उत्तराधिकारी) विदेश में रहते हैं, तब देहदान कौन कर सकता है ?

उत्तरः इन परिस्थितियों में, परिजन बच्चों को सूचित करते हैं। वे बदले में विभाग को ईमेल द्वारा अपनी सहमति भेज सकते हैं। बच्चों (कानूनी उत्तराधिकारियों) के देश पहुंचने के बाद बाकी औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं।

प्रश्न 16. वृद्धाश्रम में मरने वाले व्यक्तियों के शरीर को कैसे दान किया जा सकता है ?

उत्तरः वृद्धाश्रम के देखभालकर्ता शव को विभाग में दान कर सकते हैं।

प्रश्न 17. यदि मृतक ने "विल फार्म" नहीं भरा हो, तब क्या देह दान किया जा सकता है ?

उत्तरः हां, कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद देह–दान किया जा सकता है।

प्रश्न 18. ये औपचारिकताएं क्या हैं ?

उत्तरः मृतक के परिजन वैध मृत्यु प्रमाण पत्र एकत्र करते हैं। दान के समय करीबी रिश्तेदारों (निकटतम परिजनों) द्वारा शरीर दान का फार्म भरवाया जाता है और उक्त दस्तावेजों की छायाप्रति जमा करायी जाती है। मृतक, दाता की आधिकारिक पहचान और गवाही भी दर्ज की जाती है।

प्रश्न 19. यदि मृतक का कोई बेटा या बेटी दान के लिए सहमत नहीं है, तो क्या किया जाता है ?

उत्तरः शरीर को तब तक स्वीकार नहीं किया जाता है जब तक कि सभी निकटतम परिजन और परिजन सर्वसम्मति से इसके बारे में दान का निर्णय नहीं लेते।

प्रश्न 20. क्या किसी धार्मिक उददे्श्यों के लिए मृत शरीर के हिस्से का एक छोटा भाग दिया जा सकता है ?

उत्तरः हां, धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करने के लिए रिश्तेदारों को बाल या नाखून दिए जा सकते हैं।

प्रश्न 21. देहदान के बाद रिश्तेदारों को क्या दस्तावेज दिया जाता है ?

उत्तरः देहदान के बाद संस्थान द्वारा एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है जिसे मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एमसीडी / एनडीएमसी को प्रस्तुत किया जा सकता है।

प्रश्न 22. क्या शरीर दान के लिए पुलिस से कोई अनापत्ति प्रमाण–पत्र की आवश्यकता होती है ?

उत्तरः एम्बामिंग की वजह से शरीर का रंग एवं रसायनिक संरचना बदल जाता है जो किसी भी गलत वजह से मृत्यु के प्रमाण को नष्ट कर सकता है। इसलिए देहदान एवं एम्बामिंग की सूचना लोकल पुलिस को देनी होती है।

प्रश्न 23. यदि कोई पुलिस अनापत्ति प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं है, तो अग्रिम कार्यवाही क्या होनी चाहिए ?

उत्तरः देहदान के बारे में पुलिस स्टेशन को सूचित करें।

प्रश्न 24. एक बच्चे की मृत्यु के मामले में, जिसके माता–पिता देहदान करना चाहते हैं, क्या उसकी प्रकिया एकसमान है?

उत्तरः हां।